भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर मानकों का अनुपालन

2. **श्री रवि किशनः**
श्री देवजी एम. पटेलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गोरखपुर में कारपोरेट फर्मों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का अनुपालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गोरखपुर और कुशीनगर में सीएसआर नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य उन सभी कारपोरेट घरानों/फर्मों/कंपनियों की सूची क्या है; और

(ग) सीएसआर के अंतर्गत व्यय की जाने वाली निधियों के साथ जालौर और सिरोही में कारपोरेट फर्मों द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) **से (ग):** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन, सीएसआर उपबंध के गैर-अनुपालन से संबंधित जिला-वार डाटा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है। कंपनी बोर्ड सीएसआर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार किए जाने वाले कार्यकलापों को तय करने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक रूप से सीएसआर व्यय का विवरण एमसीए-21 रजिस्ट्री में फाइल करें। एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनी द्वारा फाइल किए गए सीएसआर व्यय संबंधी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में है और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

******